

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1617027 दिनांक 24-08-2016

पत्र संख्या -फार्म अनु0 -447 आ0घो0प0सं0-2016-17 / - 136-

/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(फार्म -38 अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक : 24 अगस्त:2016

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली -2008 के नियम 56 के उपनियम (12) में कमिशनर, वाणिज्य कर को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मैं एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्रों के विवरण निम्नवत प्रकाशित करता हूँ जिसके खो जाने / चुरा लिये जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-56 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तात्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ।

क्रम सं०	व्यापारियों का नाम व पता	फार्मों की संख्या	आयात घोषणा पत्रों /ओ0सी0स्टैम्प की सीरीज एवं क्रमांक
1-	सर्वश्री जनरल ट्रेडर्स, के0 64 / 70 गोलादीनानाथ वाराणसी।	03	DD-1723249, EE-0142797, EE-0548877
2-	सर्वश्री एण्टरप्राइजेज इण्डस्ट्रीयल एरिया, पानीपत रोड शामली।	34	18132600896818, 18134800896817, 18137100896816, 18139300896815, 18131101114691, 18139701114692, 18011602470374, 18013602470380, 18014602470383, 18014702470382, 18016802470381, 18011402477348, 18011502477346, 18013402477340, 18015502477347, 18016302477349, 18017102477342, 18017502477344, 18018802477345, 18019202477342, 18012202470376, 18013002470378, 18015502470375, 18018402470377, 18019802470379, 18019402477343, 18014001870334, 18017201870336, 18018901870333, 18019701870335, 18018300303607, 18016300303611, AA0331752, AA0331741
3	सर्वश्री श्याम स्टोन इण्डस्ट्रीज, झाँसी।	01	DD-1801189

4-	सर्वश्री अमन मेडिकोज के0 61/120 प्रथम तल सप्तसागर वाराणसी ।	01	EE-0965316
5-	सर्वश्री आर0 शंकर एण्ड ब्रदर्स, 161 टकसाल झाँसी ।	01	DD-0774155


(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

प्र0प0 सं0 व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) -अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित विज्ञप्ति का प्रकाशन साप्ताहिकी साधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
- (2)- समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर/समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर(कार्यपालक/वि0अनु0शा0)वा0कर 30प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अपने-अपने सम्भागों से सम्बन्धित अधिकारियों को छायाप्रति भिजवाने का कष्ट करें ।
- (3)- डिप्टी कमिशनर (उ0न्याय कार्य) इलाहाबाद लखनऊ ।
- (4)- समस्त डिप्टी कमिशनर (क0नि0) / असिस्टेंट कमिशनर/ वाणिज्य कर अधिकारी / मण्डल / उपमण्डल खण्ड, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इन खोए हुए / नष्ट हुए फार्म के सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र सं0 (विधि -2 सत्यापन) (85-86)-201/बिक्रीकर दिनांक 23-1-85 एवं परिपत्र सं0-फार्म-31(91-92)-फार्म मुद्रण -865 / बिक्रीकर दिनांक 2-11-91 के अनुसार कार्यवाही /अनुपालन/किया जाना सुनिश्चित करें ।
- (5)- समस्त असिस्टेंट कमिशनर/वाणिज्य कर अधिकारी/ स0द0, वा0 क0 उत्तर प्रदेश ।
- (6)- मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी ।
- (7)- विधि / मैनुअल / नई इकाई को पाँच पाँच प्रतियाँ ।
- (8) सूचना केन्द्र अनुभाग मुख्यालय को 10 अतिरिक्त प्रतियाँ ।
- (9)-पी0एस0 जैन अधिवक्ता सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय वाणिज्य कर सलाहकार समिति ए -138 ए सेक्टर -27 नोएडा ।
- (10)- श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस, आर0 -15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (11)- श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशनस, RDC-51 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (12)- महालेखाकार (कार्मिशयल एवं रिसीट आडिट) यू0पी0, 6 फ्लोर, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ ।
- (13)- समस्त नोडल अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।


(एम0पी0 सिंह)

डिप्टी कमिशनर (फार्म) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।